

Empty

अच्छल अधिकारी का कार्यालय, दिल्ली

समाप्त संख्या 216

2018-17

संख्या 216

23/7/18

अच्छल सरकार के आदेश-2014 नं. दिनांक 13/08/2018 मसबुत की अन्तर्गत दिल्ली निदेशक म. अर्थ-सह-विशेष सार्व. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एच. एम.ओ-3-2018 दिनांक 119/85/2008, एम. दिनांक 13/09/1985 एवं सार-सहित राजस्व विभागीय परिपत्र सं. 314/80 दिनांक 09/12/1998 में निर्दिष्ट निदेश के अनुपालन में गैरमजकूर खेत भूमि की कानून की गयी जमाबंदी की जांच प्रारम्भ की गई। जांच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा प्रतिवादित किया गया है कि विभागीय विवरणों की भूमि -

मौजा बसोदहा खान नं. 182 खोता नं. 62 एकांक 0.49 एकड़ भूमि जो गैरमजकूर खेत अनाबाद जिला (आर.ए.ए) सरकार के खात की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी है।
गणेश महतो श्री. लालबहादुर महतो
शा. 0 बसोदहा
के नाम से कायम है।

कि जिस तमिलनाडु पत्रां।
कि 04 सफ भवती

हल्का कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा जांचप्रमाण उपयुक्त दिवारों की भूमि के अन्तर्गत कायम जमाबंदी का साक्ष्य प्रतिवादित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अच्छल निरीक्षक द्वारा समीक्षित जांच प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम एकाधिकारी के आदेश व/अथवा इटाबन्दी के आधार पर/अथवा कोठदार वन्यावन्दी के आधार पर/अथवा जमान निष्ठाया के आधार पर/अथवा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है जिसका उद्देश्य मौजा नाम एवं राज्य की जांच कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त दिवारों की जमीन की भूमि जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विवर (आर.ए.ए) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(a) के तहत जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी स्थल को साक्ष्य विचार कर उपयुक्त नू. एड. में संबंधित भूमि दस्तावेजों/निर्गत समाप्त रसीद को मांग कर तथा उनके कारण भूमि सुधार कर, कि उक्त अच्छल जमाबंदी का अवैध मान्यता हुए विचार (आर.ए.ए) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(a) के तहत सक्षम प्राधिकार का उद्देश्य कार्य हेतु अनुसंधान किया जाए।

अभिमुख दिनांक _____ की कार्यवाही करें।

अनुमोदित एवं सहायित

अच्छल अधिकारी
दिल्ली


23/7/18
अच्छल अधिकारी
दिल्ली

9/8/11

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद को भेजे।


अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अधिलेख संख्या- 216/2018 (अनुसूचित धारा-4(b), DLR Act, 1950)

जिला पुर

बाद अधिलेख संख्या-

216/2018

सूचना

बनाम

श्री. पाल मंत्री, पि. ल. पुराण मंत्री
साथ ल. पुराण

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बीजा- 05/16, खाना नं- 182
खाता नं- 62 खसरा नं- 00 रकबा 0.49 एकड़ संबंधित आपके नाम से
हो नं- 00 के पत्ती-II भाग के मूळ पर दर्ज जमावदी प्रधान दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अधिलेख निरीक्षक के माध्यम से जांचोपचार सदिश प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संदेश में दिनांक- 9/8/16 को समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मसूदा जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अंतोहस्ताक्षरी के कार्यालय बजेट में तयस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में राजस्व जमावदा कि उक्त संदेश में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए
दर्ज जमावदी के संबंध में सुचित-युक्त निर्णय लेते हुए निदसम्पन्न जमावदा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

स्थान:-

अधिलेख निरीक्षक
जिला पुर
05/16

room C:\Users\jpr\Desktop\binod sir\court case doc

Aman kr mukhi

9/8/16

नोटिस नगिला प्रिया।
- चौ. प्र. सप. जहली
06/8/16